धारा 36 : लेखाओं के प्रतिधारण की अवधि

धारा 35 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन्हें ऐसे लेखाओं और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से बहत्तर मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगाः

परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही, चाहे वह उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या वह अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषय–वस्तु से संबंधित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा।